न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–860/2026

मैरवा थाना कांड सं0–462/2025 से उत्पन्न अंतर्गत धारा–316(2), 318(4), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r)(s) अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

राजेश पटेल एवं अन्य..... आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री कामाख्या नारायण, विद्वान अधिवक्ता, आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से
श्री भागवत राम, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

23.06.2026

आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. राजेश पटेल उर्फ राजेश कुमार पटेल 2. मनोज पटेल 3. दिलीप पटेल 4. अंजु कुमारी उर्फ अंजु कुमारी पटेल की ओर से मैरवा थाना कांड संख्या 462/2025, अंतर्गत धारा–316(2), 318(4), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r)(s) अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका संतोषी देवी (अध्यक्ष), आंचल जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ के द्वारा दिए गए टंकित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सर्वशक्ति जीविका महिला ग्राम संगठन, जो कि आंचल जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ सेवतापुर पंचायत के अंतर्गत है, में कुल 20 समूह है, जिसमें 208 परिवार जुड़े हुए है। इन सभी समूहों का लेखांकन पद कम्युनिटी मोबिलाइजर अंजु कुमारी के द्वारा दिनांक 17.03.2017 से किया जाता है। अंजु कुमारी कुल 20 समूहों में 2017 से ही अपने होने वाले पति राजेश पटेल, पिता–सुरेन्द्र पटेल अपने भाई दिलीप पटेल पिता–रामाशीष पटेल, दुसरे भाई मनोज पटेल पिता–रामाशीष पटेल के साथ मिलकर समूह में केस की नोटिस आने की धमकी देकर समुह के सदस्यों से दिनांक 17.03.2017 से 17.02.2025 तक 7,96,000/– रूपया लेकर बैंक में जमा करने के नाम पर सपरिवार लेकर चली गयी। ये पैसा नकद एवं फोनपे, गुगलपे एकाउन्ट पर मंगाया गया था जो एकाउन्ट राजेश पटेल, दिलीप पटेल एवं अंजु का है। ये भी राशि बैंक में जमा नहीं किया गया। ऐसे 9 समूह की दीदी का पीला पासबुक का फोटो कॉपी भी कथित आवेदन के साथ संलग्न किया गया है, जिसमें कम्युनिटी मोबिलाइजर अंजु कुमारी द्वारा पैसा लेकर हस्ताक्षर किया गया है। वर्तमान में रजनी देवी, पति–मनोज गोड़, जो अंश जीविका की समूह की सदस्य है, उनसे दिनांक 31.01.2025 को 40,000/– रू गाली देते हुए बैंक में जमा करने के नाम पर ले गई जो आज तक बैंक में जमा नहीं की है। ऐसे बहुत से मामले है जो पैसा लेकर विभिन्न तारीखों को अंजु कुमारी लेकर गई जिसका प्रमाण भी समूह के सदस्यों के पास है, लेकिन जब समूह के स्टेटमेन्ट में मिलान किया गया तो वो पैसा बैंक खाता में नहीं जमा किया हुआ था।

लगातार

23.06.2026

दिनांक 21.02.2025 को अंजु कुमारी के घर अटवा से जब समूह की दीदी अपना पैसा एवं समूह का कॉपी किताब मांगने पहुँची तो उनके भाई एवं परिवार के सदस्यों द्वारा धमकी दिया गया कि उसको जो बोलेगा उसका चमड़ी छिल देगें, वह कहॉ गई है हमलोगों को पता नहीं है, जबकि सब परिवार मिलकर उसको छुपा दिए थे, अंजु कुमारी का मोबाइल नं0 8602368991, 8948713391, 9771283925, 8271223693 एवं 9801160073 है। परिवार के सदस्यों द्वारा बोला गया कि उनके उपर केस किया गया तो वे सभी पर झूठा मुकद्मा करा देंगे।

आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं लेकिन दिलीप पटेल के खिलाफ व्यवहार न्यायालय, सिवान में एक मामला लंबित है, जिसमें यह जमानत पर है। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदकगण/अभियुक्तगण के फरार होने तथा उनके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जाएगा उसका वे लोग पालन करेंगे। अतः आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत निवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अनु.जा./ज.जा. अधिनियम के अंतर्गत लगाए गए अभियोग के संदर्भ में कांड दैनिकी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः उसकी ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद मैरवा थाना कांड संख्या 462/2025, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–316(2), 318(4), 3(5) बी.एन.एस. एवं धारा 3(1)(r)(s) अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम के अंतर्गत अपराध कारित करने के लिए संस्थित किया गया और आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका एवं अनुसूचित जाति की सदस्या रजनी देवी के साथ पद का दुरूपयोग कर विश्वासघात करते हुए विभिन्न जीविका समूह के पैसे के गबन करने का गंभीर अभियोग है। अभिलेख पर उपलब्ध कांड दैनिकी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 2,3,5 में वर्णित)। प्राथमिकी एवं कांड दैनिकी में आये साक्ष्य से आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध इस आपराधिक मामले में अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अभियोग आकर्षित होता है। ऐसी स्थिति में दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन अनु.जा./ज.जा. (अ.नि.) अधिनियम की धारा 18 एवं 18A से बाधित होने के कारण पोषणीय नहीं है।

लगातार

23.06.2026

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण 1. राजेश पटेल उर्फ राजेश कुमार पटेल 2. मनोज पटेल 3. दिलीप पटेल 4. अंजु कुमारी उर्फ अंजु कुमारी पटेल की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

(सुशील कुमार त्रिपाठी)

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम, सिवान।